

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक : 49 /5-1,

एटा: दिनांक: 8-7-2021

सेवा में,

वन संरक्षक

अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।

विषय: जनपद.एटा के अर्न्तगत एटा रेलवे स्टेशन से 2 X 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.803 किमी०) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे० सरक्षित वनभूमि एवं 38385 हे० आरक्षित वनभूमि) कुल 4,2069 हे० भूमि का गैर प्रयोग में 05 वृक्ष एवं 228 पौधे / झाड़ी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव FP/UP/TRAINS/47261/2020

सन्दर्भ: कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 2599 /11 सी FPUPITRANS47601/2018 लखनऊ, दि०-09-04-2021

महोदय


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर 4 प्रतियों में तैयार कर संस्तुति सहित आपकी सेवा में प्रेषित है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही हो तो प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में व्यास वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड करें।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में व्यास वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड कर दिया है।
3.	प्रस्ताव को साथ इको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण संलग्न की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० गणना संलग्न करें।	एन०पी०वी० की गणना संशोधित कर संलग्न की गयी है।

4.	मलवा उत्सर्जन का विवरण इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया है।
5.	ऑनलाइन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग-अलग फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग-अलग फीड कर दिया गया है
6.	ऑनलाइन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड कर धनराशि भी फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन व धन राशि अपलोड किया गया है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(एस0के0राम)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

एटा।


पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, जनपद निर्माण-द्वितीय, 2 X 660 मेगावाट जवाहर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन, एटा (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0के0राम)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

 एटा।